

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-62/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

विभागीय पत्रांक- 228(3), दिनांक- 25.04.2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में डा० (श्रीमती) उषा अग्रवाल, चिकित्सा पदाधिकारी, फाइलेरिया नियंत्रण ईकाई, पटना पश्चिम (दानापुर), पटना के दिनांक-12.04.2025 से 04.05.2025 तक कुल 23 (तेईस) दिन विदेश (यू०एस०ए०) में आँख के ईलाज हेतु बितायी गयी अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 एवं महालेखाकार, बिहार, पटना के ज्ञापांक- LR : 040420250200026, LR NO : 0013/2025-2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में रुपान्तरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-62/2025- 877/2 पटना, दिनांक 29/5/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (फाइलेरिया नियंत्रण), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० (श्रीमती) उषा अग्रवाल, चिकित्सा पदाधिकारी, फाइलेरिया नियंत्रण ईकाई, पटना पश्चिम (दानापुर), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/5/25

सरकार के अवर सचिव